

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 238] नई दिल्ली, शनिवार, जून 30, 1973/आषाढ़ 9, 1895

No. 238] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 30, 1973/ASADHA 9, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 30th June 1973

S.O. 363(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S.O. 2826/18A/IDRA/69, dated the 9th July, 1969, read with the Order of the Government of India in the late Ministry of Foreign Trade No. S.O. 2542, dated the 8th July, 1971, the management of the undertaking known as Digvijay Spinning and Weaving Co. Ltd., Bombay, had been taken over by the Authorised Controller referred to in the Order mentioned above for a period up to and inclusive of the 8th July, 1973;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said undertaking by the said Authorised Controller should continue for a further period up to and inclusive of the 8th July, 1974;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (85 of 1951), the Central Government hereby directs that the Order mentioned above shall continue to have effect for a further period up to and inclusive of 8th July, 1974.

[No. F. 28013/74/73-Tex(G)]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 जून, 1973

का० आ० 363 (अ).—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 2642, दिनांक 8 जुलाई, 1973 के साथ पठित भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 2828/18/ए/आई० डी० आर० ए०/69, दिनांक 9 जुलाई, 1969 द्वारा दिग्विजय स्प्रिंग एंड बीविंग कंपनी लि०, बम्बई नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उपरिर्णित आदेश में निर्दिष्ट प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा 8 जुलाई, 1973 तक की अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, ग्रहण कर लिया गया था ;

और यतः, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा उक्त उपक्रम का प्रबन्ध 8 जुलाई, 1974 तक की अवधि के लिए और बना रहना चाहिए ;

अतः अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि उपरिर्णित आदेश का प्रभाव 8 जुलाई, 1974 तक की अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, और बना रहेगा ।

[सं० फा० 28013/74/73-टैक्स (जी)]

डी० के० सक्सेना संयुक्त सचिव ।